

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3)



क्र.:—एफ 4(5)ग्रावि/नरेगा/भा.द./09-10

जयपुर, दिनांक: 27 AUG 2009

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यपालक, राजस्थान,  
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,  
समस्त राजस्थान।

27 AUG 2009

विषय:- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत कार्यस्थल पर  
प्राथमिक उपचार हेतु दवाईयां क्रय के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण ने इस  
विभाग को अवगत कराया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत  
तालाबों का निर्माण एवं गांव के आस-पास मिट्टी खोदने का काम करवाया है,  
जिससे खड्डे हो गए हैं। इन खड्डों में वर्षा का पानी इकट्ठा होने से मलेरिया  
एवं डेंगू रोग फैलने का अन्देश है।

अतः इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि आने वाले 4 महिनो में  
जब इस रोग के फैलने की संभावना अधिक है, में मलेरिया एवं डेंगू रोग से  
बचने के लिए, उसमें लार्वारोधी कीटनाशकों का क्रय टेमीफोस एवं मलेरिया  
निरोधक औषधि क्लोरोक्वीन/ प्राईमाक्वीन की गोलियों का क्रय करके कार्यस्थल  
पर प्राथमिक उपचार हेतु किट में रखा जावे, जिससे मलेरिया आदि रोगों पर  
नियंत्रण हो सके एवं कार्यस्थल पर काम करने वाले मजदूर को बीमारी की  
अवस्था में प्राथमिक उपचार के दौरान मलेरिया निरोधक दवाईयां दी जा सके।

भवदीय

(राजेन्द्र भाणावत)

(राजेन्द्र भाणावत)  
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान को  
उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

परियोजना निदेशक, ईजीएस